छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
Phone No.- 0771-2422425 Email Id - secycgbse@gmail.com Website - www.cgbse.nic.in

क्रमांक/1744/पुनर्गणना प्रकोष्ठ/2026 रायपुर दिनांक 21/4/26

:: आदेश ::

छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 119 उपविनियम (1), (2) तथा (3) एवं विनियम 148 के उपविनियम (1), (2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है, जो छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया है।

1. परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन)/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु इस तीनों प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रक्रिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

3. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी अपने उत्तर/उत्तरों की पुनःजांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। अभ्यर्थी के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसे मण्डल की वेबसाईट पर या अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर **SMS** के माध्यम से सूचना दी जायेगी।

पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय की प्रक्रिया

मण्डल विनियम के प्रावधान एवं समय–समय पर मण्डल की समितियों द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू. 100/– पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू. 500/– एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्रति विषय रू. 500/– शुल्क निर्धारित है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक या दो या तीनों प्रक्रिया हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिये निर्धारित प्रारूप मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है, जिसे भरकर निर्धारित शुल्क के साथ अग्रेषण संस्था में जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाईट पर स्वयं आनलाईन आवेदन भी कर सकता है।

2. जिला–बीजापुर, जगदलपुर, दन्तेवाडा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़ एवं मानपुर, मोहला (आदिवासी बहुल/नक्सली क्षेत्र) के अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क का 50% छूट का प्रावधान है। यह ध्यान रहे कि यह छूट केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए है, पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय के लिये यह छूट नहीं दी जायेगी।

3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नही दिया जावेगा, परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किसी एक/दोनों/तीनों प्रक्रिया हेतु एक ही साथ आवेदन करना होगा।

क्रमशः.....02

4. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन करने वाले छात्रों को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति मण्डल द्वारा प्रेषित की जाती है। सामान्यतः उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय होने तक पुनर्मूल्यांकन हेतु किये जाने वाले आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है। अतः अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय करने के उपरांत पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई समय नहीं दिया जायेगा और न ही किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा, जिसका प्रावधान विनियम 119 एवं 148 में भी स्पष्ट अंकित है।

5. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जायेगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से **05** प्रतिशत या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर ही, अंकों में वृद्धि मान्य की जायेगी। पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाये नहीं जायेंगे अर्थात् पूर्व के अंक यथावत् रहेंगे।

6. पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृद्धि दोनों मान्य की जावेगी, अर्थात एक अंक की भी कमी/वृद्धि मान्य की जायेगी।

7. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु जमा की गई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।

8. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अंकों में कमी/वृद्धि मान्य किये जाने पर संशोधित अंकसूची जारी की जायेगी। मण्डल द्वारा संशोधित अंक सूची नियमित अभ्यर्थी की स्थिति में संबंधित शाला को तथा स्वाध्यायी अभ्यर्थी की स्थिति में अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी संबंधित संस्था में पुरानी अंकसूची जमा कर संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित अंकसूची प्राप्त कर सकेगा।

17/4/26
सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृ0 क्रमांक/1745/पुनर्गणना प्रकोष्ठ/2026 रायपुर, दिनांक 21/4/26

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. अध्यक्ष महोदय/सचिव के निज सहायक छ0ग0मा0शि0 मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
03. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
04. समस्त कलेक्टर (मण्डल परीक्षा प्रभाग) छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
05. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ0ग0मा0शि0 मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त सहायक सचिव/संभागीय अधिकारी, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं अम्बिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
08. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थाये छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. प्रोग्रामर, डाटा कक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को मण्डल वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/4/26
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

आवेदन–पत्र

पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु आवेदन पत्र

(Application Form for Retotalling/ Revaluation/Answer Copy)

(Board Regulation 119.148)

हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी / डी.एल.एड.परीक्षा वर्ष 20.....

2. अनुक्रमांक (Roll No) [   ]
2. छात्र का नाम ....
3. परीक्षा का नाम ....
4. मुख्य / द्वितीय मुख्य परीक्षा ....
5. केन्द्र क्रमांक ....
6. केन्द्र का नाम ....
8. संस्था का नाम ....

मै मण्डल के स्थापित नियमों के तहत अपने निम्नाकित विषय / विषयों की उत्तरपुस्तिका का पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु आवेदन करना चाहता / चाहती हूँ जो निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	प्राप्तांक	पुनर्गणना रू. 100 /– प्रति विषय	पुनर्मूल्यांकन रू. 500 /– प्रति विषय	उ.पु. की छायाप्रति रू. 500 /– प्रति विषय	शुल्क विवरण कुल शुल्क
01			रू.	रू.	रू.	
02			रू.	रू.	रू.	
03			रू.	रू.	रू.	
04			रू.	रू.	रू.	
05			रू.	रू.	रू.	
06			रू.	रू.	रू.	
संबंधित कॉलम में शुल्क की राशि अंकित करें।					कुल राशि अंकों में :–	रू.
			शब्दो में :–			

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....
पिता / पालक का नाम ....
गली / मोहल्ला ....
ग्राम ....पोस्ट..
विकासखण्ड..जिला..(छ.ग.)
मोबाईल नं. [   ]
ईमेल आईडी :– [   ]
पिन कोड :– ....

नोट :– मोबाईल नम्बर अनिवार्य रुप से अंकित करें।

–: घोषणा–पत्र :–

मैं .... घोषणा करता / करती हूं कि मैंने उपरोक्तानुसार विषय / विषयों में पुनर्गणना / उ.पु. की छायाप्रति / पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। पुनर्गणना उपरांत अंको में कमी / वृद्धि जो भी हो मुझे स्वीकार होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोंकन करें।)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No.- 0771-2422425 Email Id - secycgbse@gmail.com Website - www.cgbse.nic.in

क्रमांक/1752/पुनर्गणना प्रकोष्ठ/2026 रायपुर दिनांक 21/5/26

प्रति,

समस्त प्राचार्य
समन्वय/अग्रेषण संस्था
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः— **परीक्षा वर्ष 2026 के पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु आवेदन पत्र जमा करने विषयक।**

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है :—

1. परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन)/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु इस तीनों प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रक्रिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

3. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू. 100/— उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्रति विषय रू. 500/—एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू. 500/—शुल्क निर्धारित है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक या दो या तीनों प्रक्रिया हेतु आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के लिये निर्धारित प्रारूप मण्डल की वेबसाईट <u>www.cgbse.nic.in</u> से प्राप्त किये जा सकते है, जिसे भरकर निर्धारित शुल्क के साथ समन्वय/अग्रेषण संस्था में जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाईट पर स्वयं आनलाईन आवेदन भी कर सकता है।

4. जिला—बीजापुर, जगदलपुर, दन्तेवाडा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़ एवं मानपुर मोहला (आदिवासी बहुल/नक्सली क्षेत्र) के अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क का **50%** छूट का प्रावधान है। यह ध्यान रहे कि यह छूट केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए है, पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय के लिये यह छूट नहीं दी जायेगी।

5. अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त शुल्क समन्वय/अग्रेषण संस्था द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जावें।

6. अभ्यर्थी से निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के उपरांत ही आवेदन—पत्र जमा करावें एवं प्राप्ति की रसीद अभ्यर्थी को देवें, तत्पश्चात प्राप्त **<u>आवेदन—पत्रो की अनिवार्य रुप से ऑनलाईन प्रविष्टि करें</u>**।

7. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन—पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि करते समय हुई त्रुटि का निराकरण अग्रेषण संस्थाओं द्वारा ही निम्नानुसार किया जाना है :—

क्रमांक.....02

(क) परीक्षाफल घोषणा तिथि से 07 दिवस तक के प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि में यदि कोई त्रुटि हो गयी है, तो आठवें दिवस तक आवश्यक सुधार अनिवार्य रुप से कर लेवे।

(ख) परीक्षाफल घोषणा तिथि से आठवें दिवस से पन्द्रहवें दिवस तक प्राप्त आवेदन–पत्र में ऑनलाईन प्रविष्टि में यदि कोई त्रुटि हो गयी है, तो हुई त्रुटि का सोलहवें दिवस तक आवश्यक सुधार अनिवार्य रुप से किया जाना हैं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नही होगा।

8. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उ0पु0 की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो की ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत समस्त आवेदन पत्र सूची सहित निर्धारित तिथि के बाद मण्डल कार्यालय में अनिवार्य रुप से जमा करे।

9. **छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर ही ऑनलाईन (RT/RV/PC) प्रविष्टि की जावे। ऑनलाईन प्रविष्टि करने में त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदेही संबंधित समन्वय संस्था / अग्रेषण संस्था के प्राचार्य की होगी।**

10. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उ0पु0 की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु अग्रेषण संस्थाओं को पुनर्गणना हेतु रु. 10 / – उ0पु0 की छायाप्रति प्रदाय एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु रु. 20 / – प्रति आवेदन पत्र मानदेय निर्धारित किया गया है। यदि छात्र द्वारा एक साथ दो / तीनों प्रक्रिया हेतु आवेदन किया जाता है, तो अधिकतम राशि रु. 20 / – प्रति आवेदन पत्र मानदेय निर्धारित किया गया है।

11. जिन छात्रों का RWL/RWS/RWEN/RWI श्रेणी में परीक्षा परिणाम रोका गया है, उन छात्रों का परीक्षा परिणाम जिस दिनांक को घोषित होगा उस दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में परीक्षार्थी, पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु आवेदन मण्डल मुख्यालय रायपुर में जमा कर सकेंगे या परीक्षार्थी मण्डल की वेबसाइड पर स्वयं आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन समन्वय / अग्रेषण संस्था में जमा नही किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

17/4/26

सचिव

छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर

पृ0 क्रमाँक / 1743 / पुनर्गणना प्रकोष्ठ / 2026 रायपुर, दिनाँक 21/4/26

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय छ0ग0मा0शि0 मण्डल, राजनांदगांव, अंम्बिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
3. प्रोग्रामर, डाटा कक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को मण्डल वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/4/26

सचिव

छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर